छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय–रायपुर

क्रमांक 2316 /उपा./16 रायपुर, दिनांक 15/7/2016

प्रति,

कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संभाग–1/2/3/4, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग–I/II

नया रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/ राजनांदगांव/ रायगढ़/

जगदलपुर/ कोरबा/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव/ धमतरी/

महासमुन्द/ कवर्धा, विद्युत संभाग क्र.–1,2,3

विषयः– पी.क्यू. बीड अनुमोदन एवं निविदा में संशोधन हेतु अनुमति बाबत।

संदर्भः–अपर आयुक्त का पत्र क्र. 1024/अ.आ./मुख्या. रायपुर, दिनांक 16.07.14

---00---

संदर्भित पत्र क्रमांक द्वारा जारी पी.क्यू. बीड अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रस्तुत किये जा रहे हैं। परीक्षण उपरांत निविदा पर आगामी कार्यवाही की अनुमति प्रदान कर तदानुसार निविदा पर कार्यवाही की अनुमति मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रायः यह भी देखने में आया है कि संभाग कार्यालयों द्वारा वृत्त/मुख्यालय से अनुमोदन बिना ही निविदा में संशोधन किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मुख्यालय स्तर के तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2016 में विचारोपरांत निम्नलिखित बिन्दुवार प्रस्तावित करते हुए परिपत्र जारी करने हेतु अनुशंसा किया गया है–

1. चूंकि वर्तमान में वृत्त कार्यालयों का गठन किया जा चुका है, अतः पूर्व में संदर्भित जारी निर्देश को शिथिल करते हुए, पी.क्यू. आधार पर आमंत्रित निविदाओं हेतु यह प्रावधान किया जा सकता है कि ऐसी निविदाओं हेतु प्राप्त पी.क्यू. बीड कार्यपालन अभियंता अपने स्तर पर परीक्षण कर, तुलनात्मक विवरण एवं अनुशंसा सहित अनुमोदन हेतु संबंधित वृत्त कार्यालयों को प्रेषित करेंगे तथा तदोपरांत ही वृत्त कार्यालय की अनुमति अनुसार निविदा में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः ..2..

DHC

2. अनुमोदित एन.आई.टी./निविदा में यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता होती है तो कार्यपालन अभियंता संबंधित उपायुक्त से अथवा आवश्यक होने पर मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही संशोधन की कार्यवाही करेंगे तथा किए गये संशोधन से मुख्यालय को भी अवगत करायेंगे।

उपरोक्त अनुसार कृपया पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः तकनीकी समिति के निर्णय की प्रति।

(आदेशानुसार)

उपायुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय–रायपुर

पृ.क्रमांक 2317 /उपा./16 रायपुर, दिनांक 15/7/2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
3. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर/वृत्त–दुर्ग,/ नया रायपुर/बिलासपुर।

(आदेशानुसार)

उपायुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय–रायपुर